संख्या– 14(1)/xxxvi(1)एक/10–563/2001

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 21 जनवरी, 2010

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली नैनीताल के लिये सृजित अस्थायी पदो की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1–एक (10)छत्तीस (1) / न्याय अनु0/2004 दिनांक 26–10–2004 एवं शासनादेश संख्या– 1–एक (10)/ छत्तीस (1)/ 2005 –563 / 01 दिनांक 31–10–2005 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल हेतु सृजित अस्थायी पदो के अनुक्रम मे शासनादेश संख्या– 38/xxxvi(1)एक/09–563/2001 दिनांक 6 फरवरी, 2009 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिये अस्थायी रूप से सृजित सभी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2010 से 28–2– 2011 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 14(1)/xxxvi(1)एक/10–563/2001तद्दिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव,

nirantrata